

अनुमंडल कार्यालय, गोड्डा।

(आपूर्ति भाखा)

—: आदे 1:—

सरकार के प्रधान सचिव के पत्रांक-खां0 प्र0-04 (विविध) 04/2009-1601/राँची, दिनांक-08/08/09 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए 1000 की जनसंख्या के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाये जो बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को ग्रेड-2 प्राप्त हों। साथ ही विशेष कार्य पदाधिकारी के ज्ञाप संख्या-219/ADV/TPS, दिनांक-09/09/09 से प्राप्त निर्देश के आलोक में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार गोड्डा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबादी 1,78,823 है। सरकारी निर्देश के अनुसार 1000 की आबादी पर एक डीलर बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में चयन किया जाना है, जिसमें कुल 179 दुकानों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और वर्तमान में 96 जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पूर्व से कार्यरत है, इस प्रकार गोड्डा प्रखण्ड में 83 डीलर की रिक्ति बनती है। रिक्ति स्थान में इस कार्यालय के पत्रांक-942/आ0, दिनांक-09/09/09 के द्वारा कुल 37 बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन कर उपायुक्त महोदय, गोड्डा को भेजा गया था। रिक्ति स्थान पर उपायुक्त महोदय, गोड्डा के पत्रांक-341/जि0आ0, दिनांक-11/09/09 से इच्छुक महिला स्वयं सहायता समूह को दिनांक-21/09/09 तक आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित की गई थी। दिनांक-21/09/09 तक प्राप्त आवेदनों की जाँच महिला प्रसार पदाधिकारी से जाँच कराकर एवं उक्त भेजे गये महिला स्वयं सहायता समूह का त्रुटि का निराकरण करते हुए निम्नलिखित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन पंचायतवार डीलर के रूप में की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

प्रखण्ड :- गोड्डा

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पंचायत की आबादी	पंचायत कुल अनुमानित जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	पंचायत में पूर्व में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	नये मापदण्डों के अनुसार पंचायत में जो0वि0प्र0 दुकानों की रिक्तियाँ	नव चयनित जन वितरण प्रणाली दुकानदार (महिला स्वयं सहायता समूह)	व्यापार स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सैदापुर	5913	6	3	3	1 दलित मजदूर जागृति महिला समूह, चकेश्वरी 2 माँ महासुर स्वयं सहायता समूह, बढौना 3 माँ काली स्वयं सहायता समूह, सैदापुर	चकेश्वरी बढौना सैदापुर
2	नेपुरा	4722	5	4	1	4 भसमासुर स्वयं सहायता समूह, नेपरा	नेपुरा
3	गोरसंडा	4410	4	2	2	5 महिला कल्याण समिति, ढाड़ाचक "A" 6 ग्राम सेविका स्वयं सहायता समूह गोरसंडा ।।	ढाड़ाचक गोरसंडा
4	पचरुखी	5431	5	2	3	7 चाँद तारा स्वयं सहायता समूह, पचरुखी 8 लीला स्वयं सहायता समूह, धमसांय 9 चाँद सितारा स्वयं सहायता समूह, पचरुखी	पचरुखी धमसांय पचरुखी

Contd.....

5	मछिया सिमडा	5239	5	3	2	10 11	सेवा समिति, रंगमटिया लंकापति स्वयं सहायता समूह, मछिया सिमरडा	रंगमटिया मछिया सिमडा
6	रूपियामा	5524	6	2	4	12 13 14 15	लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, बड़हरा दीप स्वयं सहायता समूह बेलडीहा उजाला स्वयं सहायता समूह, बेलडीहा प्रगतीशील स्वयं सहायता समूह, मुकुन्दीसंथाली	बड़हरा बेलडीहा बेलडीहा मुकुन्दी संथाली
7	गायछान्द	5856	6	4	2	16 17	गुलाब स्वयं सहायता समूह, चीनाढाव गुरुदेव सहायता समूह, गायछान्द	चीनाढाव गायछान्द
8	घाटपहाड़ पुर	5273	5	2	3	18 19 20	लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, भेड़ा श्री राम स्वयं सहायता समूह, घाट पहाड़पुर महर्षि मेंही स्वयं सहायता समूह भेड़ा भंडारकोली	भेड़ा घाटपहाड़पुर भंडारकोली
9	कन्हभारा	5606	6	3	3	21 22 23	महादेवी महिला स्वयं सहायता समूह, कन्हभारा सुभाली सिंह स्वयं सहायता समूह, गैरवन्ना गुरुदेव स्वयं सहायता समूह, गैरवन्ना	कन्हभारा गैरवन्ना गैरवन्ना
10	पैरडीह	5313	5	3	2	24 25	अहमदिया स्वयं सहायता समूह, पैरडीह सहेली स्वयं सहायता समूह, कानाडीह	पैरडीह कानाडीह
11	कुरमीचक	4733	5	2	3	26 27 28	गोरी स्वयं सहायता समूह, कुरमीचक बजरंगवली स्वयं सहायता समूह, कुरमीचक लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, पेलगढी	कुरमीचक कुरमीचक पेलगढी
12	मारखन	5810	6	4	2	29 30	रामा स्वयं सहायता समूह, मारखन सरोजनी स्वयं सहायता समूह, पथवारा	मारखन पथवारा
13	जमनी पहाड़पुर	5909	6	5	1	31	माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह, जमनीपहाड़पुर	जमनी पहाड़पुर
14	भतडीहा	5950	6	2	4	32 33 34 35	सरस्वती स्वयं सहायता समूह, नोनमाटी पार्वती स्वयं सहायता समूह, बेलारी सरस्वती स्वयं सहायता समूह, बेलारी महामाया समिति सिमरातरी	नोनमाटी बेलारी बेलारी सिमरातरी
15	पांडूबथान	5219	5	2	3	36 37 38	मुक्तिदाता स्वयं सहायता समूह, मुरलीडीह गौरी शंकर स्वयं सहायता समूह, धर्मोडीह बिरसा स्वयं सहायता समूह, पांडूबथान	मुरलीडीह धर्मोडीह पांडूबथान
16	पन्दाहा	5753	6	3	3	39 40 41	सूर्यमुखी स्वयं सहायता समूह, पन्दाहा माँ काली स्वयं सहायता समूह, पन्दाहा महर्षि मेंही स्वयं सहायता समूह, पन्दाहा	बीच टोला पन्दाहा प्रधान टोला पन्दाहा हरिजन टोला पन्दाहा

17	रानीडीह	4903	5	3	2	42 43	आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह, दलदली बहना स्वयं सहायता समूह, मलहारा	दलदली मलहारा
18	अमरपुर	6313	6	4	2	44 45	इंदिरा स्वयं सहायता समूह, अमरपुर महिला जागृति स्वयं सहायता समूह, तियोडीह	अमरपुर तियोडीह
19	मखनी	5762	6	2	4	46 47 48	शारदा स्वयं सहायता समूह, मखनी माँ दुर्गा प्रेरणा समूह, मखनी अविनाश स्वयं सहायता समूह, मजडीहा	मखनी मखनी मजडीहा
20	नुनबट्टा	5403	5	3	2	49 50	तुलसी स्वयं सहायता समूह, नुनबट्टा महर्षि मेंही स्वयं सहायता समूह, बरमसिया	नुनबट्टा बरमसिया
21	निपनियाँ	4860	5	2	3	51 52 53	स्वयं सहायता समूह, निपनियाँ स्वयं सहायता समूह, सुन्दरमोड़ माँ लख्खी स्वयं सहायता समूह, कालाझोर	निपनियाँ सुन्दरमोड़ कालाझोर
22	सुण्डमारा	4737	5	2	3	54 55 56	पार्वती महिला मंडल, सुण्डमारा महिला सभा लाडूडीह महिला सभा नन्दोपहाड़ी	सुण्डमारा लाडूडीह नन्दोपहाड़ी
23	ढोढ़री	4973	5	4	1	57	सर्वोदय स्वयं सहायता समूह, ढोढ़री	ढोढ़री
24	बडी कल्याणी	5478	5	3	2	58 59	लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, कुशमनी रतनपुर स्वयं सहायता समूह, रतनपुर	कुशमनी रतनपुर
25	डुमरिया	4668	5	3	2	60	माँ गायत्री स्वयं सहायता समूह, डुमरिया	डुमरिया
26	खटनई	3988	4	2	2	61 62	सतगुरु महाराज स्वयं सहायता समूह, मालडीह सूरज स्वयं सहायता समूह, मालडीह	मालडीह मालडीह
27	अमलो	5178	5	4	1	63	सरस्वती स्वयं सहायता समूह, अमलो	अमलो
28	मोतिया	4815	5	3	2	64 65	माँ काली स्वयं सहायता समूह, मोतिया माँ गायत्री स्वयं सहायता समूह, मोतिया	मोतिया मोतिया

29	लोबंघा	5380	5	3	2	66 67	मदीना स्वयं सहायता समूह, लोबंघा श्री गणेश स्वयं सहायता समूह, डोकाबाँध	लोबंघा डोकाबाँध
30	मंजवाराघाट	5572	6	3	3	68 69 70	कुरावा स्वयं सहायता समूह, कुरावा द्वीप स्वयं सहायता समूह, विशनपुर सुमित्रा स्वयं सहायता समूह, घाटमंजवारा	कुरावा विशनपुर घाटमंजवारा
31	झिलवा	5514	6	3	3	71 72 73	माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह, दामा माँ दुर्गा महिला मंडल, दामा शारदा महिला मंडल, दामा	दामा दामा दामा
32	बुढीकुरा	4981	5	1	4	74 75 76 77	शिवशक्ति स्वयं सहायता समूह बुढीकुरा कुशमी बाहा स्वयं सहायता समूह, डांगा ओपेल बाहा स्वयं सहायता समूह, सियरकटिया सरदम बाहा स्वयं सहायता समूह डांगा।	बुढीकुरा डांगा सियरकटिया डांगा
33	बंकाघाट	4466	4	2	2	78 79	गायत्री स्वयं सहायता समूह, घाटबंका महिला सभा बंका राय टोला	घाटबंका राय टोला बंकाघाट
34	सरौनी	5171	5	3	2	80 81	सापना स्वयं सहायता समूह, सरौनी आत्म निर्भर स्वयं सहायता समूह, सरौनी	सरौनी सरौनी

चयनित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को आदे 1 दिया जाता है कि वे दिनांक 30/09/2009 तक जन वितरण प्रणाली दुकान की व्यापार स्थल का जमाबंदी नं0, दाग नं0 एवं चौहद्दी सहित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र आपूर्ति भाखा में संबंधित सहायक के पास जमा करेंगे। साथ ही यह भी निदेशित किया जाता है कि अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति राशि 1 मो0-300/-रु0 एवं खाद्यान्न, किरासन तेल एवं लेवी चीनी का अनुज्ञप्ति भुल्क मो0-5 X 3=15 रु0 चलान द्वारा जमा कर चलान की प्रति, एकरारनामा एवं दो अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटोग्राफ समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें यह भी आदे 1 दिया जाता है कि वे अपनी दुकान से सम्बद्ध ग्राम/टोलों की पारिवारिक सूची निम्न प्रपत्र में दिनांक-30/09/2009 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

—: प्रपत्र :-

क्र0 सं0	परिवार के मुखिया का नाम	मुखिया के पति/पिता का नाम	परिवार में कुल सदस्यों की संख्या	राशन कार्ड सं0	कार्ड का प्रकार (यथा-अंत्योदय/बी0पी0एल0/ सामान्य या कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो वर्ष 2001 की जनगणना में उक्त परिवार वर्णित ग्राम/मुहल्लों में निवास करते हो तो उसका उल्लेख करें)
1	2	3	4	5	6

इसके अतिरिक्त उन्हें निम्न निदेश 1 दिया जाता है:-

1. अपनी दुकान से सम्बद्ध बी0पी0एल0 एवं अंत्योदय के उपभोक्ताओं की सूची पूर्ण पता एवं कार्ड संख्या के साथ प्रतिमाह मिलने वाली खाद्यान्न की मात्रा एवं दर के साथ-साथ किरासन तेल के उपभोक्ताओं की पारिवारिक सूची, उनको प्रतिमाह मिलने वाला किरासन तेल का परिमाण एवं दर अपने व्यापार परिसर के बाहरी दिवाल पर दिवाल लेखन द्वारा आम उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु प्रकाशित करेंगे।

2. उपावंटित खाद्यान्न के उठाव हेतु ससमय बैंक ड्राफ्ट प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्धारित तिथि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैंक ड्राफ्ट स्वयं तैयार करायेगे एवं बैंक ड्राफ्ट पर्ची का कॉउण्टर-फोलियो प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा करेंगे। प्रतिमाह उठाव किये गये खाद्यान्न एवं किरासन तेल का सत्यापन किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा कराने के पश्चात् ही उनके समक्ष उचित मात्रा एवं दर पर लक्षित वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच वितरण करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उपावंटित खाद्यान्न एवं किरासन तेल व्ययगत नहीं हो, इसका पुरा ध्यान रखेंगे।
3. लक्षित वर्ग के किसी भी उपभोक्ताओं का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेंगे तथा राशन कार्ड बनाने के नाम पर ठगी नहीं करेंगे।
4. अपनी दुकान नियमित रूप से सरकारी निदेशों के आलोक में सुबह 8.00 बजे से 12.00 बजे दिन तक एवं शाम 4.00 बजे से 7.00 बजे तक खोलना सुनिश्चित करेंगे।
5. भंडार एवं वितरण पंजी का संधारण सरकारी निदेशानुसार विहित-प्रपत्र में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से सत्यापनोपरान्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा उपभोक्ताओं को उनके द्वारा लिये गये सामग्रियों का केशमेमों की एक प्रति निश्चित रूप से देंगे तथा उसकी द्वितीयक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसपर उपभोक्ताओं का पावती भी लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:— चयनित सभी बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:— प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा/प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, गोड्डा/महिला प्रसार पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:— निदेशों के अंतर्गत, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:— उपायुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

अनुमंडल कार्यालय, गोड्डा।

(आपूर्ति भाखा)

—: आदे 1:—

सरकार के प्रधान सचिव के पत्रांक—खां0 प्र0—04 (विविध) 04/2009—1601/राँची, दिनांक—08/08/09 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए 1000 की जनसंख्या के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाये जो बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को ग्रेड—2 प्राप्त हों। साथ ही विशेष कार्य पदाधिकारी के ज्ञाप संख्या—219/ADV/TPS, दिनांक—09/09/09 से प्राप्त निदेश के आलोक में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार गोड्डा भाहरी क्षेत्र की कुल आबादी 37,007 है। सरकारी निदेश के अनुसार 1000 की आबादी पर एक डीलर बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में चयन किया जाना है, जिसमें कुल 37 दुकानों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और वर्तमान में 23 जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पूर्व से कार्यरत है, इस प्रकार मेहरमा प्रखण्ड में 14 डीलर की रिक्ति बनती है। दिनांक—21/09/09 तक प्राप्त आवेदनों की जाँच महिला प्रसार पदाधिकारी से जाँच कराकर एवं उक्त भेजे गये महिला स्वयं सहायता समूह का त्रुटि का निराकरण करते हुए निम्नलिखित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन पंचायतवार डीलर के रूप में की गई है, जो निम्न प्रकार है :—

प्रखण्ड :- गोड्डा भाहरी क्षेत्र

क्र० सं०	कार्ड नं०	सम्बद्ध टोला	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पंचायत की आबादी	पंचायत कुल अनुमान्य जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	पंचायत में पूर्व में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	नये मापदण्डों के अनुसार पंचायत में ज०वि०प्र० दुकानों की रिक्तियाँ	नव चयनित जन वितरण प्रणाली दुकानदार (महिला स्वयं सहायता समूह)	व्यापार स्थल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	रौतारा उत्तरी	1470	2	1	1	1	माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह, रौतारा	वार्ड नं०—01
2	3	रौतारा दक्षिणी	2170	2	1	1	2	शिव पार्वती स्वयं सहायता समूह, दक्षिण रौतारा	वार्ड नं०—03

चयनित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को आदे 1 दिया जाता है कि वे दिनांक 30/09/2009 तक जन वितरण प्रणाली दुकान की व्यापार स्थल का जमाबंदी नं०, दाग नं० एवं चौहद्दी सहित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र आपूर्ति भाखा में संबंधित सहायक के पास जमा करेंगे। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति राशि 1 मो०—300/—रु० एवं खाद्यान्न, किरासन तेल एवं लेवी चीनी का अनुज्ञप्ति भुल्क मो०—5 X 3=15 रु० चलान द्वारा जमा कर चलान की प्रति, एकरारनामा एवं दो अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटोग्राफ समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें यह भी आदे 1 दिया जाता है कि वे अपनी दुकान से सम्बद्ध ग्राम/टोलों की पारिवारिक सूची निम्न प्रपत्र में दिनांक—30/09/2009 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

—: प्रपत्र :-

क्र० सं०	परिवार के मुखिया का नाम	मुखिया के पति/पिता का नाम	परिवार में कुल सदस्यों की संख्या	राशन कार्ड सं०	कार्ड का प्रकार (यथा—अंत्योदय/बी0पी0एल0/सामान्य या कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो वर्ष 2001 की जनगणना में उक्त परिवार वर्णित ग्राम/मुहल्लों में निवास करते हो तो उसका उल्लेख करें)
1	2	3	4	5	6

Contd.....

इसके अतिरिक्त उन्हें निम्न निदे 1 दिया जाता है:-

1. अपनी दुकान से सम्बद्ध बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय के उपभोक्ताओं की सूची पूर्ण पता एवं कार्ड संख्या के साथ प्रतिमाह मिलने वाली खाद्यान्न की मात्रा एवं दर के साथ-साथ किरासन तेल के उपभोक्ताओं की पारिवारिक सूची, उनको प्रतिमाह मिलने वाला किरासन तेल का परिमाण एवं दर अपने व्यापार परिसर के बाहरी दिवाल पर दिवाल लेखन द्वारा आम उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु प्रकाशित करेंगे।
2. उपावंटित खाद्यान्न के उठाव हेतु ससमय बैंक ड्राफ्ट प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्धारित तिथि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैंक ड्राफ्ट स्वयं तैयार करायेगें एवं बैंक ड्राफ्ट पर्ची का कॉउण्टर-फोलियो प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा करेंगे। प्रतिमाह उठाव किये गये खाद्यान्न एवं किरासन तेल का सत्यापन किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा कराने के पश्चात् ही उनके समक्ष उचित मात्रा एवं दर पर लक्षित वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच वितरण करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उपावंटित खाद्यान्न एवं किरासन तेल व्ययगत नहीं हो, इसका पुरा ध्यान रखेंगे।
3. लक्षित वर्ग के किसी भी उपभोक्ताओं का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेंगे तथा राशन कार्ड बनाने के नाम पर ठगी नहीं करेंगे।
4. अपनी दुकान नियमित रूप से सरकारी निदे 1 के आलोक में सुबह 8.00 बजे से 12.00 बजे दिन तक एवं भाम 4.00 बजे से 7.00 बजे तक खोलना सुनिश्चित करेंगे।
5. भंडार एवं वितरण पंजी का संधारण सरकारी निदे 1ानुसार विहित-प्रपत्र में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से सत्यापनोपरान्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा उपभोक्ताओं को उनके द्वारा लिये गये सामग्रियों का केशमेमों की एक प्रति निश्चित रूप से देंगे तथा उसकी द्वितीयक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसपर उपभोक्ताओं का पावती भी लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- चयनित सभी बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा/प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, गोड्डा/महिला प्रसार पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- निदे 1क, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

अनुमंडल कार्यालय, गोड्डा।

(आपूर्ति भाखा)

—: आदे I:—

सरकार के प्रधान सचिव के पत्रांक-खां0 प्र0-04 (विविध) 04/2009-1601/रॉंची, दिनांक-08/08/09 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए 1000 की जनसंख्या के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाये जो बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को ग्रेड-2 प्राप्त हों। साथ ही विशेष कार्य पदाधिकारी के ज्ञाप संख्या-219/ADV/TPS, दिनांक-09/09/09 से प्राप्त निर्देश के आलोक में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पथरगामा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों एवं अधिसूचित क्षेत्रों की कुल आबादी 1,67,075 है। सरकारी निर्देश के अनुसार 1000 की आबादी पर एक डीलर बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में चयन किया जाना है, जिसमें कुल 167 दुकानों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और वर्तमान में 90 जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पूर्व से कार्यरत है, इस प्रकार पथरगामा प्रखण्ड में 77 डीलर की रिक्ति बनती है। रिक्त स्थान में इस कार्यालय के पत्रांक-942/आ0, दिनांक-09/09/09 के द्वारा कुल 39 बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन कर उपायुक्त महोदय, गोड्डा को भेजा गया था। रिक्त स्थान पर उपायुक्त महोदय, गोड्डा के पत्रांक-341/जि0आ0, दिनांक-11/09/09 से इच्छुक महिला स्वयं सहायता समूह को दिनांक-21/09/09 तक आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित की गई थीं। दिनांक-21/09/09 तक प्राप्त आवेदनों की जाँच महिला प्रसार पदाधिकारी से जाँच कराकर एवं उक्त भेजे गये महिला स्वयं सहायता समूह का त्रुटि का निराकरण करते हुए निम्नलिखित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन पंचायतवार डीलर के रूप में की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

प्रखण्ड :- पथरगामा

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पंचायत की आबादी	पंचायत कुल अनुमान्य जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	पंचायत में पूर्व में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	नये मापदण्डों के अनुसार पंचायत में ज0वि0प्र0 दुकानों की रिक्तियाँ	नव चयनित जन वितरण प्रणाली दुकानदार (महिला स्वयं सहायता समूह)	व्यापार स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धपरा	5497	6	3	3	1 सदाबहार स्वयं समिति भट्टा 2 नूरानी स्वयं सहायता समूह, झपनियाँ 3 गुडलक स्वयं सहायता समूह, भट्टा	भट्टा झपनियाँ भट्टा
2	केवां	4908	5	2	3	4 गुलशन बहार समिति केवां 5 तारा संघ समिति रुपनी 6 गुलबहार समिति केवां	केवां रुपनी केवां
3	बेलडीहा	4599	5	2	3	7 गुलबहार संघ रंसी 8 गुलशनबहार समिति रंसी 9 चाँद तारा संघ समिति, चेंगये	रंसी रंसी चेंगये

Contd.....

4	बाघकोल	5504	6	3	3	10 11	याकुब संघ समिति विसम्भरचक गुलशन बहार संघ समिति, बसखोरिया	विसम्भरचक बसखोरिया
5	कैथपुरा	5226	5	3	2	12	माँ काली स्वयं सहायता समूह, कैथपुरा	कैथपुरा
6	डेरमा	5186	5	3	2	13 14	चाँद-तारा समिति, कपेटा गरीब विकास समिति, लोचनी	कपेटा लोचनी
7	हिलावै	5318	5	3	2	15 16	अमन स्वयं सहायता समूह, अमरपुर हिलावै राधिका स्वयं समिति चनायचक	हिलावै चनायचक
8	कोरकाघाट	5089	5	3	2	17 18	कल्याणी स्वयं सहायता समूह, सनातन पार्वती स्वयं सहायता समूह, कोरका	सनातन कोरका
9	लतौना	5225	5	3	2	19 20	श्रमिक महिला स्वयं सहायता समूह, दिग्धी चांदो बाबा स्वयं सहायता समूह, दिग्धी	दिग्धी दिग्धी
10	रानीपुर	5295	5	3	2	21 22	गणेश महिला स्वयं सहायता समूह, बंदनवार पार्वती महिला स्वयं सहायता समूह, बंदनवार	बंदनवार बंदनवार
11	कुरावा घाट	4714	5	2	3	23 24 25	पूनम महिला मंडल कुरावा जगतजननी महिला स्वयं सहायता समूह, योगीडीह कमल फुल स्वयं सहायता समूह, झिकटिया	कुरावा योगीडीह घाटकुरावा
12	महेशलिट्टी	5212	5	2	3	26 27 28	गुलाब वाहा स्वयं सहायता समूह कुमर्शी महर्षि मेही स्वयं सहायता समूह, महेशलिट्टी कस्तूरवा महिला स्वयं सहायता समूह, तरडीहा	कुमर्शी महेशलिट्टी तरडीहा
13	बिसाहा	4854	5	3	2	29 30	पार्वती स्वयं सहायता समूह, भगवानचक पार्वती स्वयं सहायता समिति, बिसाहा	भगवानचक बिसाहा
14	चिलरा	5321	5	3	2	31 32	ताज समिति रूपूचक चमेली स्वयं सहायता समूह पचरकानी	रफूचक पचरकानी
15	माल निस्तारा	4943	5	3	2	33 34	माँ लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह, श्रीपुर श्री जलवाहा स्वयं सहायता समूह, औरटांड	श्रीपुर औरटांड

16	सोनारचक	5097	5	2	3	35 36 37	रुकमनी स्वयं सहायता समूह बाबुपुर खोरिया गोवर्धन महिला स्वयं सहायता समूह, लकड़जोरी स्वयं सहायता समूह तेतरिया टीकर-।	बाबुपुर खोरिया लकड़जोरी तेतरिया टीकर
17	मांछीटांड	4498	4	1	3	38 39 40	मां योगनी स्वयं सहायता समूह टेंगर महिला शक्ति स्वयं सहायता समूह टेंगर जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह, तेलनी	टेंगर टेंगर तेलनी
18	कस्तूरिया	4938	5	2	3	41 42 43	चमेली स्वयं सहायता समूह बड़गामा स्वयं सहायता समूह बरमासिया 'क' शिव महिमा स्वयं सहायता समूह, कस्तूरिया	बड़गामा बरमासिया कस्तूरिया
19	चिलकारा गोबिन्द	4019	4	2	2	44 45	माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह चिलकारा हरिजन टोला स्वयं सहायता समूह कमलडीहा	चिलकारा कमलडीहा
20	गंगटाकला	4439	4	3	1	46	स्वयं सहायता समूह जामजोरी	जामजोरी
21	परसपानी	5139	5	3	2	47 48	स्वयं सहायता समूह डहरलंगी उपल वाहा स्वयं सहायता समूह, लतौना	डहरलंगी लतौना
22	कैथिया	5122	5	3	2	49 50	चाँद-तारा स्वयं सहायता समूह, नकटा चाँद स्वयं सहायता समूह, गोपीचक	नकटा गोपीचक
23	सांचपुर सांखी	5219	5	2	3	51 52	चाँद स्वयं सहायता समूह, बसंतकित्ता तारा संघ समिति, निमुहा कार्यरत नहीं।	बसंतकित्ता निमुहा
24	जमनीकोला	5663	6	3	3	53 54 55	मुर्मू संघ समिति, बाजपेय माँ काली स्वयं सहायता समूह, पकड़िया माँ तारा स्वयं सहायता समूह, पकड़िया	बाजपेय पकड़िया पकड़िया
25	कदमा	5081	5	3	2	56 57	हाँसदा संघ समिति, जगतपुर सुजाता समिति, कदमा	जगतपुर कदमा
26	सुस्ती	5644	6	3	3	58 59	माँ योगिनी स्वयं सहायता समूह, सुस्ती चाँद-तारा स्वयं सहायता समूह, कपेटा	सुस्ती कपेटा
27	पडुवा	5525	6	3	3	60 61	चाँद-भेरव स्वयं सहायता समूह, ढीवाबोध सर्वोदय स्वयं सहायता समूह, ढीवाबोध	ढीवाबोध ढीवाबोध

28	लखनपहाड़ी	4641	5	3	2	62 63	मरांग मुर्मू महिला स्वयं सहायता समूह, भोजपुर माँ पार्वती महिला स्वयं सहायता समूह, लखनपहाड़ी	भोजपुर लखनपहाड़ी
29	बोहा	4096	4	1	3	64 65 66	रेणु महिला स्वयं सहायता समूह, कालाडुमरिया मनोहर स्वयं सहायता समूह, मनोहरपुर माँ भवानी स्वयं सहायता समूह, सरंडा	कालाडुमरिया मनोहरपुर सरंडा
30	पिपरा	4503	5	3	2	67 68	माँ दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह, पिपरा माँ गौरी स्वयं सहायता समूह, जमुआ	पिपरा जमुआ
31	बोदरा	4967	5	3	2	69	बाहा स्वयं सहायता समूह, फुलबड़िया	फुलबड़िया
32	राहा	5233	5	3	2	70 71	दलित महिला संघ समिति, कोरियाना माँ विसहरी स्वयं सहायता समूह, राहा	कोरियाना राहा

चयनित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को आदे 1 दिया जाता है कि वे दिनांक 30/09/2009 तक जन वितरण प्रणाली दुकान की व्यापार स्थल का जमाबंदी नं0, दाग नं0 एवं चौहद्दी सहित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र आपूर्ति भाखा में संबंधित सहायक के पास जमा करेंगे। साथ ही यह भी निदेशित किया जाता है कि अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति राशि 1 मो0-300/-रु0 एवं खाद्यान्न, किरासन तेल एवं लेवी चीनी का अनुज्ञप्ति भुल्क मो0-5 X 3=15 रु0 चलान द्वारा जमा कर चलान की प्रति, एकरारनामा एवं दो अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटोग्राफ समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें यह भी आदे 1 दिया जाता है कि वे अपनी दुकान से सम्बद्ध ग्राम/टोलों की पारिवारिक सूची निम्न प्रपत्र में दिनांक-30/09/2009 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

—: प्रपत्र :-

क्र0 सं0	परिवार के मुखिया का नाम	मुखिया के पति/पिता का नाम	परिवार में कुल सदस्यों की संख्या	राशन कार्ड सं0	कार्ड का प्रकार (यथा-अंत्योदय/बी0पी0एल0/ सामान्य या कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो वर्ष 2001 की जनगणना में उक्त परिवार वर्णित ग्राम/मुहल्लों में निवास करते हो तो उसका उल्लेख करें)
1	2	3	4	5	6

इसके अतिरिक्त उन्हें निम्न निदेश 1 दिया जाता है:-

1. अपनी दुकान से सम्बद्ध बी0पी0एल0 एवं अंत्योदय के उपभोक्ताओं की सूची पूर्ण पता एवं कार्ड संख्या के साथ प्रतिमाह मिलने वाली खाद्यान्न की मात्रा एवं दर के साथ-साथ किरासन तेल के उपभोक्ताओं की पारिवारिक सूची, उनको प्रतिमाह मिलने वाला किरासन तेल का परिमाण एवं दर अपने व्यापार परिसर के बाहरी दिवाल पर दिवाल लेखन द्वारा आम उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु प्रकाशित करेंगे।
2. उपावृत्त खाद्यान्न के उठाव हेतु ससमय बैंक ड्राफ्ट प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्धारित तिथि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैंक ड्राफ्ट स्वयं तैयार करायेगे एवं बैंक ड्राफ्ट पर्ची का कॉउण्टर-फोलियो प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा करेंगे। प्रतिमाह उठाव किये गये खाद्यान्न एवं किरासन तेल का सत्यापन किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा कराने के पश्चात् ही

Contd.....

- उनके समक्ष उचित मात्रा एवं दर पर लक्षित वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच वितरण करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उपावंटित खाद्यान्न एवं किरासन तेल व्ययगत नहीं हो, इसका पुरा ध्यान रखेंगे।
3. लक्षित वर्ग के किसी भी उपभोक्ताओं का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखें तथा राशन कार्ड बनाने के नाम पर ठगी नहीं करेंगे।
 4. अपनी दुकान नियमित रूप से सरकारी निदेशों के आलोक में सुबह 8.00 बजे से 12.00 बजे दिन तक एवं शाम 4.00 बजे से 7.00 बजे तक खोलना सुनिश्चित करेंगे।
 5. भंडार एवं वितरण पंजी का संधारण सरकारी निदेशानुसार विहित-प्रपत्र में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से सत्यापनोपरान्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा उपभोक्ताओं को उनके द्वारा लिये गये सामग्रियों का केशमों की एक प्रति निश्चित रूप से देंगे तथा उसकी द्वितीयक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसपर उपभोक्ताओं का पावती भी लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:— चयनित सभी बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:— प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पथरगामा/प्रखंड विकास पदाधिकारी, पथरगामा/अंचल अधिकारी, पथरगामा/महिला प्रसार पदाधिकारी, पथरगामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:— निदेशक, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:— उपायुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

अनुमंडल कार्यालय, गोड्डा।

(आपूर्ति भाखा)

—: आदे 1:—

सरकार के प्रधान सचिव के पत्रांक-खां0 प्र0-04 (विविध) 04/2009-1601/राँची, दिनांक-08/08/09 के द्वारा निर्दे 1 प्राप्त हुआ है कि जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए 1000 की जनसंख्या के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाये जो बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को ग्रेड-2 प्राप्त हों। साथ ही वि ेश कार्य पदाधिकारी के ज्ञाप संख्या-219/ADV/TPS, दिनांक-09/09/09 से प्राप्त निदे 1 के आलोक में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महागामा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबादी 1,50,701 है। सरकारी निदे 1 के अनुसार 1000 की आबादी पर एक डीलर बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में चयन किया जाना है, जिसमें कुल 151 दुकानों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और वर्तमान में 75 जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पूर्व से कार्यरत है, इस प्रकार महागामा प्रखण्ड में 76 डीलर की रिक्ति बनती है। रिक्त स्थान में इस कार्यालय के पत्रांक-942/आ0, दिनांक-09/09/09 के द्वारा कुल 15 बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन कर उपायुक्त महोदय, गोड्डा को भेजा गया था। रिक्त स्थान पर उपायुक्त महोदय, गोड्डा के पत्रांक-341/जि0आ0, दिनांक-11/09/09 से इच्छुक महिला स्वयं सहायता समूह को दिनांक-21/09/09 तक आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाि त की गई थीं। दिनांक-21/09/09 तक प्राप्त आवेदनों की जाँच महिला प्रसार पदाधिकारी से जाँच कराकर एवं उक्त भेजे गये महिला स्वयं सहायता समूह का त्रुटि का निराकरण करते हुए निम्नलिखित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन पंचायतवार डीलर के रूप में की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

प्रखण्ड :- महागामा

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पंचायत की आबादी	पंचायत कुल अनुमान-य जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	पंचायत में पूर्व में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	नये मापदण्डों के अनुसार पंचायत में ज0वि0प्र0 दुकानों की रिक्तियाँ	नव चयनित जन वितरण प्रणाली दुकानदार (महिला स्वयं सहायता समूह)	व्यापार स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नयानगर	5521	5	2	3	1 मंजू स्वयं सहायता समूह नयानगर 2 मुस्कान स्वयं सहायता समूह, नयानगर 3 नबीसा स्वयं सहायता समूह,मालीचक	नयानगर नयानगर मालीचक
2	गढ़ी	5092	5	4	1	4 मिस संघ समिति गढ़ी	गढ़ी
3	कुशमाहरा	4349	4	2	2	5 चाँद स्वयं सहायता समूह कुशमाहरा 6 रजिया विकास स्वयं सहायता समूह सुन्दरचक	कुशमाहरा सुन्दरचक
4	मुरलीटोक	5358	5	1	4	7 सेसर बेड़ा स्वयं सहायता समूह गोविन्दपुर	गोविन्दपुर

Contd.....

5	बसुआ	4860	5	2	3	8 9 10	स्वयं सहायता समूह गंगासागर ग्राम सेविका समूह, बसुआ माता मरिया महिला मंडल, बसुआ	गंगासागर बसुआ बसुआ
6	खदहारा माल	5498	5	2	3	11 12 13	लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह मानिकपुर मीरा महिला मंडल, मोहनपुर माता मारिया महिला, मंडल, मोहनपुर	मानिकपुर मोहनपुर मोहनपुर
7	जियाजोरी	4544	5	2	3	14	सालोमी स्वयं सहायता समूह जियाजोरी	जियाजोरी
8	लहठी	5751	6	4	2	15 16	लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह लहठी सरस्वती स्वयं सहायता समूह लहठी	लहठी लहठी
9	समश्रीकित्ता घाट भंडारीडीह	4780	5	2	3	17 18 19	स्वयं सहायता समूह मिर्जाचक-। स्वयं सहायता समूह मिर्जाचक हरिजन टोला स्वयं सहायता समूह, मिर्जाचक-।।	मिर्जाचक मिर्जाचक मिर्जाचक
10	जमायडीह	4928	5	3	2	20 21	स्वयं सहायता समूह कुशमी मोटोक बहा महिला मंडल, करकटडीह	कुशमी करकटडीह
11	धर्मोडीह	5714	6	4	2	22 23	महिला मंडल स्वयं सहायता समूह चांदसर सुधा महिला मंडल स्वयं सहायता समूह चूनाचक	चांदसर चूनाचक
12	विश्वासखानी	5645	6	3	3	24	स्वयं सहायता समूह, कालाडुमरिया	कालाडुमरिया
13	घाट गमहरिया	5249	5	3	2	25 26	स्वयं सहायता समूह, अमडीहा माँ लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह, डलावर	अमडीहा डलावर
14	महागामा दक्षणी	5320	5	2	3	27 28	माँ भवानी स्वयं सहायता समूह, महागामा महिला मंडल स्वयं सहायता समूह, महागामा	महागामा
15	महागामा उत्तरी	4543	4	3	1	29	स्वयं सहायता समूह, महागामा	महागामा
16	परसा	5869	6	2	4	30	पायल महिल मंडल, परसा	परसा

17	कोयला	4875	5	3	2	31 32	शांति विकास स्वयं सहायता समूह, विसनपुर भगवान स्वयं सहायता समूह, कोयला	विसनपुर
18	लौगाय	5585	6	4	2	33 34	शारदा स्वयं सहायता समूह, लौगाय दुर्गा संघ समिति, कसवा	लौगाय कसवा
19	सरोतिया	4561	5	2	3	35 36 37	सेना संघ समिति, डोमाचक जूही संघ समिति, मिखियाचक शाहिदी संघ समिति, डोमाचक	डोमाचक मिखियाचक डोमाचक
20	सरभंगा	5100	5	3	2	38 39	मजदूर संघ समिति, सरभंगा नारी संघ समिति, सरभंगा	सरभंगा सरभंगा
21	सीनपुर	5559	6	2	4	40 41 42 43	प्रकाश संघ समिति, सिंघाड़ी नेहा संघ समिति, सिंघाड़ी ज्योति संघ समिति, सीनपुर जीनत संघ समिति, सीनपुर	सिंघाड़ी सीनपुर सीनपुर सीनपुर
22	हसन करहरिया	5868	6	3	3	44 45 46	स्वयं सहायता समूह, दहिया स्वयं सहायता समूह, दहिया नयाटोला सनोहर महिला मंडल, दहिया	दहिया दहिया दहिया
23	खोरद	4893	5	2	3	47 48	तबुस्सुम स्वयं सहायता समूह, घुटयामी सानिया स्वयं सहायता समूह, खोरिया	घुटयामी

चयनित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को आदे 1 दिया जाता है कि वे दिनांक 30/09/2009 तक जन वितरण प्रणाली दुकान की व्यापार स्थल का जमाबंदी नं0, दाग नं0 एवं चौहद्दी सहित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र आपूर्ति भाखा में संबंधित सहायक के पास जमा करेंगे। साथ ही यह भी निदिेात किया जाता है कि अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति रािा 1 मो0-300/-रू0 एवं खाद्यान्न, किरासन तेल एवं लेवी चीनी का अनुज्ञप्ति भुल्क मो0-5 X 3=15 रू0 चलान द्वारा जमा कर चलान की प्रति, एकरारनामा एवं दो अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटोग्राफ समर्पित करना सुनििचत करें। साथ ही उन्हें यह भी आदे 1 दिया जाता है कि वे अपनी दुकान से सम्बद्ध ग्राम/टोलों की पारिवारिक सूची निम्न प्रपत्र में दिनांक-30/09/2009 तक उपलब्ध कराना सुनििचत करें।

—: प्रपत्र :-

क्र0 सं0	परिवार के मुखिया का नाम	मुखिया के पति/पिता का नाम	परिवार में कुल सदस्यों की संख्या	रा न कार्ड सं0	कार्ड का प्रकार (यथा-अंत्योदय/बी0पी0एल0/ सामान्य या कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो वर्ष 2001 की जनगणना में उक्त परिवार वर्णित ग्राम/मुहल्लों में निवास करते हो तो उसका उल्लेख करें)
1	2	3	4	5	6

इसके अतिरिक्त उन्हें निम्न निदे 1 दिया जाता है:-

1. अपनी दुकान से सम्बद्ध बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय के उपभोक्ताओं की सूची पूर्ण पता एवं कार्ड संख्या के साथ प्रतिमाह मिलने वाली खाद्यान्न की मात्रा एवं दर के साथ-साथ किरासन तेल के उपभोक्ताओं की पारिवारिक सूची, उनको प्रतिमाह मिलने वाला किरासन तेल का परिमाण एवं दर अपने व्यापार परिसर के बाहरी दिवाल पर दिवाल लेखन द्वारा आम उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु प्रकाशित करेंगे।
2. उपावंटित खाद्यान्न के उठाव हेतु ससमय बैंक ड्राफ्ट प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्धारित तिथि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैंक ड्राफ्ट स्वयं तैयार करायेगें एवं बैंक ड्राफ्ट पर्ची का कॉउण्टर-फोलियो प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा करेंगे। प्रतिमाह उठाव किये गये खाद्यान्न एवं किरासन तेल का सत्यापन किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा कराने के पश्चात् ही उनके समक्ष उचित मात्रा एवं दर पर लक्षित वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच वितरण करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उपावंटित खाद्यान्न एवं किरासन तेल व्ययगत नहीं हो, इसका पुरा ध्यान रखेंगे।
3. लक्षित वर्ग के किसी भी उपभोक्ताओं का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेंगे तथा राशन कार्ड बनाने के नाम पर ठगी नहीं करेंगे।
4. अपनी दुकान नियमित रूप से सरकारी निदे 1 के आलोक में सुबह 8.00 बजे से 12.00 बजे दिन तक एवं भाम 4.00 बजे से 7.00 बजे तक खोलना सुनिश्चित करेंगे।
5. भंडार एवं वितरण पंजी का संधारण सरकारी निदे 1ानुसार विहित-प्रपत्र में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से सत्यापनोपरान्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा उपभोक्ताओं को उनके द्वारा लिये गये सामग्रियों का केशमेमों की एक प्रति निश्चित रूप से देंगे तथा उसकी द्वितीयक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसपर उपभोक्ताओं का पावती भी लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- चयनित सभी बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महागामा/प्रखंड विकास पदाधिकारी, महागामा/अंचल अधिकारी, महागामा/महिला प्रसार पदाधिकारी, महागामा को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यार्थ प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- निदे 1क, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवयक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

अनुमंडल कार्यालय, गोड्डा।

(आपूर्ति भाखा)

—: आदे 1:—

सरकार के प्रधान सचिव के पत्रांक-खां0 प्र0-04 (विविध) 04/2009-1601/राँची, दिनांक-08/08/09 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए 1000 की जनसंख्या के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाये जो बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को ग्रेड-2 प्राप्त हों। साथ ही विशेष कार्य पदाधिकारी के ज्ञाप संख्या-219/ADV/TPS, दिनांक-09/09/09 से प्राप्त निर्देश के आलोक में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पोडैयाहाट प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबादी 1,54,420 है। सरकारी निर्देश के अनुसार 1000 की आबादी पर एक डीलर बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में चयन किया जाना है, जिसमें कुल 154 दुकानों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और वर्तमान में 93 जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पूर्व से कार्यरत है, इस प्रकार पोडैयाहाट प्रखण्ड में 61 डीलर की रिक्ति बनती है। रिक्त स्थान में इस कार्यालय के पत्रांक-942/आ0, दिनांक-09/09/09 के द्वारा कुल 17 बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन कर उपायुक्त महोदय, गोड्डा को भेजा गया था। रिक्त स्थान पर उपायुक्त महोदय, गोड्डा के पत्रांक-341/जि0आ0, दिनांक-11/09/09 से इच्छुक महिला स्वयं सहायता समूह को दिनांक-21/09/09 तक आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित की गई थीं। दिनांक-21/09/09 तक प्राप्त आवेदनों की जाँच महिला प्रसार पदाधिकारी से जाँच कराकर एवं उक्त भेजे गये महिला स्वयं सहायता समूह का त्रुटि का निराकरण करते हुए निम्नलिखित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन पंचायतवार डीलर के रूप में की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

प्रखण्ड :- पोडैयाहाट

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पंचायत की आबादी	पंचायत कुल अनुमान्य जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	पंचायत में पूर्व में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	नये मापदण्डों के अनुसार पंचायत में ज0वि0प्र0 दुकानों की रिक्तियों	नव चयनित जन वितरण प्रणाली दुकानदार (महिला स्वयं सहायता समूह)	व्यापार स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोनिडीहा	4759	5	3	2	1 2 किरण जागो नारी अमडाकामत वीणा महिला मंडल, मुहचौरा	अमडाकामत मुहचौरा
2	देवबंधा	4950	5	3	2	3 4 विकास महिला मंडल देवबंधा बजरंग महिला मंडल, देवन्धा	देवबंधा देवबंधा
3	भटौंधा	5746	6	4	2	5 6 दुर्गा महिला मंडल भटौंधा चमेली महिला मंडल, परसोती	भटौंधा परसोती
4	डांडे	6754	7	4	3	7 8 9 मां दुर्गा महिला मंडल डांडे पार्वती महिला मंडल डांडे मां काली महिला मंडल डांडे	डांडे डांडे डांडे

Contd.....

(2)

5	द्रोपद	4527	5	1	4	10 आरती महिला मंडल, गवारीडीह 11 जागृती महिला मंडल, पदमपुर 12 सरस्वती महिला मंडल द्रोपद 13 पार्वती महिला मंडल द्रोपद	गवारीडीह पदमपुर द्रोपद द्रोपद
6	अमुआर संथाली	4964	5	1	4	14 गुलाब महिला मंडल, गौरीपुर 15 लक्ष्मी महिला मंडल, माझी टोला अमुवार 16 ललिता महिला मंडल, अमुवार 17 पार्वती महिला मंडल, घाट टोला	गौरीपुर माझी टोला अमुवार अमुवार घाट टोला
7	चतरा	5150	5	2	3	18 तरक्की महिला मंडल चतरा 19 सदिना महिला मंडल, चतरा 20 चंदन महिला मंडल पोखरिया	चतरा चतरा चतरा
8	सकरीफुल वार	5185	5	3	2	21 बेली महिला मंडल फुलवार 22 शिव महिला मंडल सकरी	फुलवार सकरी
9	कस्तुरी	5056	5	3	2	23 ज्योति स्वयं सहायता समूह, महेशधासा 24 अनिता स्वयं सहायता समूह, दादुघुटु	महेशधासा दादुघुटु
10	बकसरा	4344	4	2	2	25 लक्ष्मी महिला मंडल, बंसतपुर 26 जुली जागो नारी स्वयं सहायता समूह, पेटवी संथाली	बसंतपुर पेटवी संथाली टोला
11	बिरनियां	4958	5	2	3	27 ज्योति स्वयं सहायता समूह, महारा 28 ज्ञान स्वयं सहायता समूह, महारा 29 दीप स्वयं सहायता समूह, महारा	महारा महारा महारा
12	नवडीहा	5082	5	2	3	30 मार्सल स्वयं सहायता समूह, नवडीहा 31 जानकी स्वयं सहायता समूह, नवडीहा 32 पार्वती स्वयं सहायता समूह, चोपो टोला	नवडीहा नवडीहा चोपो टोला
13	लीलादह	5707	6	3	3	33 देवी महिला मंडल, बोहरा 34 सुनैना स्वयं सहायता समूह, बोहरा 35 मंगली जागो नारी स्वयं सहायता समूह	बोहरा बोहरा लीलादह
14	तरखुट्टा	4420	4	2	2	36 माँ संतोषी महिला मंडल, धोबय 37 झारखण्ड स्वयं सहायता समूह, गोहरा राजपुर	धोबय गोहरा राजपुर
15	ठाकुरनहा	4511	4	2	2	38 काली महिला मंडल, चरकाटांड 39 घुटकू महिला मंडल, दक्षिण बहियार	चरकाटांड दक्षिण बहियार

Contd.....

16	बांझी	5406	5	4	1	40	माताजी स्वयं सहायता समूह, सरबिन्धा	सरबिन्धा
17	खरकचिया	4892	5	2	3	41 42 43	सरस्वती महिला मंडल, बांसमुण्डी समा महिला मंडल, तालझारी किसान महिला मंडल, कारीकादर	बांसमुण्डी तालझारी कारीकादर
18	बाघमारा	5176	5	2	3	44 45 46	शिव-पार्वती महिला मंडल, बाघमारा पंचायत टोला लक्ष्मी महिला मंडल, बाघमारा प्रधान टोला शिवानी महिला मंडल, बाघमारा ठाकुर टोला	पंचायत टोला प्रधान टोला ठाकुरटोला
19	पिंडराहाट	4121	4	2	2	47 48	सरस्वती महिला मंडल, बोहा मां काली महिला मंडल, लिट्टी	बोहा लिट्टी
20	सिद्धवांक	4216	4	2	2	49 50	पार्वती महिला मंडल, परगोडीह लख्खी महिला मंडल, परगोडीह	परगोडीह परगोडीह
21	देवडाड	5165	5	3	2	51 52	सुमित्रा महिला मंडल, जीतपुर महामाया महिला मंडल, गोविन्दपुर	जीतपुर गोविन्दपुर
22	धेनुकट्टा	5534	6	2	4	53 54 55 56	फुलमनी जागो नारी स्वयं सहायता समूह, केलावाड़ी सावित्री महिला मंडल, बेलटुप्पा जय बजरंग महिला मंडल, बाघमुण्डा पार्वती महिला मंडल, धेनुकट्टा	केलावड़ी बेलटुप्पा हरिजन टोला बाघमुण्डा धेनुकट्टा
23	असाढ़ी माधुरी	5174	5	4	1	57	इंसाफ जागो नारी स्वयं सहायता समूह, असाढ़ी माधुरी	असाढ़ी माधुरी
24	बरागच्छा हरियारी	4427	5	4	1	58	जसीन्ता महिला मंडल, बोड़ा चापड़	बोड़ा चापड़

चयनित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को आदे 1 दिया जाता है कि वे दिनांक 30/09/2009 तक जन वितरण प्रणाली दुकान की व्यापार स्थल का जमाबंदी नं0, दाग नं0 एवं चौहद्दी सहित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र आपूर्ति भाखा में संबंधित सहायक के पास जमा करेंगे। साथ ही यह भी निदेशित किया जाता है कि अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति राशि 1 मो0-300/-रु0 एवं खाद्यान्न, किरासन तेल एवं लेवी चीनी का अनुज्ञप्ति भुल्क मो0-5 X 3=15 रु0 चलान द्वारा जमा कर चलान की प्रति, एकरारनामा एवं दो अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटोग्राफ समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें यह भी आदे 1 दिया जाता है कि वे अपनी दुकान से सम्बद्ध ग्राम/टोलों की पारिवारिक सूची निम्न प्रपत्र में दिनांक-

Contd.....

30/09/2009 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

—: प्रपत्र :-

क्र० सं०	परिवार के मुखिया का नाम	मुखिया के पति/पिता का नाम	परिवार में कुल सदस्यों की संख्या	राशन कार्ड सं०	कार्ड का प्रकार (यथा—अंत्योदय/बी०पी०एल०/ सामान्य या कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो वर्ष 2001 की जनगणना में उक्त परिवार वर्णित ग्राम/मुहल्लों में निवास करते हो तो उसका उल्लेख करें)
1	2	3	4	5	6

इसके अतिरिक्त उन्हें निम्न निदेश दिए जाते हैं:-

1. अपनी दुकान से सम्बद्ध बी०पी०एल० एवं अंत्योदय के उपभोक्ताओं की सूची पूर्ण पता एवं कार्ड संख्या के साथ प्रतिमाह मिलने वाली खाद्यान्न की मात्रा एवं दर के साथ-साथ किरासन तेल के उपभोक्ताओं की पारिवारिक सूची, उनको प्रतिमाह मिलने वाला किरासन तेल का परिमाण एवं दर अपने व्यापार परिसर के बाहरी दिवाल पर दिवाल लेखन द्वारा आम उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु प्रकाशित करेंगे।
2. उपावृत्त खाद्यान्न के उठाव हेतु ससमय बैंक ड्राफ्ट प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्धारित तिथि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैंक ड्राफ्ट स्वयं तैयार कराएंगे एवं बैंक ड्राफ्ट पर्ची का कौण्टर-फोलियो प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा करेंगे। प्रतिमाह उठाव किये गये खाद्यान्न एवं किरासन तेल का सत्यापन किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा कराने के पश्चात् ही उनके समक्ष उचित मात्रा एवं दर पर लक्षित वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच वितरण करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उपावृत्त खाद्यान्न एवं किरासन तेल व्ययगत नहीं हो, इसका पुरा ध्यान रखेंगे।
3. लक्षित वर्ग के किसी भी उपभोक्ताओं का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेंगे तथा राशन कार्ड बनाने के नाम पर ठगी नहीं करेंगे।
4. अपनी दुकान नियमित रूप से सरकारी निदेशों के आलोक में सुबह 8.00 बजे से 12.00 बजे दिन तक एवं शाम 4.00 बजे से 7.00 बजे तक खोलना सुनिश्चित करेंगे।
5. भंडार एवं वितरण पंजी का संधारण सरकारी निदेशानुसार विहित-प्रपत्र में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से सत्यापनोपरान्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा उपभोक्ताओं को उनके द्वारा लिये गये सामग्रियों का केशमों की एक प्रति निश्चित रूप से देंगे तथा उसकी द्वितीयक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसपर उपभोक्ताओं का पावती भी लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ०

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- चयनित सभी बी०पी०एल० महिला स्वयं सहायता समूह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ०

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट/प्रखंड विकास पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट/अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट/महिला प्रसार पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

Contd.....

(5)

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- निदेशक, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

अनुमंडल कार्यालय, गोड्डा।

(आपूर्ति भाखा)

—: आदे 1:—

सरकार के प्रधान सचिव के पत्रांक-खां0 प्र0-04 (विविध) 04/2009-1601/राँची, दिनांक-08/08/09 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए 1000 की जनसंख्या के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाये जो बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को ग्रेड-2 प्राप्त हों। साथ ही विशेष कार्य पदाधिकारी के ज्ञाप संख्या-219/ADV/TPS, दिनांक-09/09/09 से प्राप्त निर्देश के आलोक में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पोडैयाहाट प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबादी 1,54,420 है। सरकारी निर्देश के अनुसार 1000 की आबादी पर एक डीलर बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में चयन किया जाना है, जिसमें कुल 154 दुकानों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और वर्तमान में 93 जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पूर्व से कार्यरत है, इस प्रकार पोडैयाहाट प्रखण्ड में 61 डीलर की रिक्ति बनती है। रिक्त स्थान में इस कार्यालय के पत्रांक-942/आ0, दिनांक-09/09/09 के द्वारा कुल 17 बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन कर उपायुक्त महोदय, गोड्डा को भेजा गया था। रिक्त स्थान पर उपायुक्त महोदय, गोड्डा के पत्रांक-341/जि0आ0, दिनांक-11/09/09 से इच्छुक महिला स्वयं सहायता समूह को दिनांक-21/09/09 तक आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित की गई थीं। दिनांक-21/09/09 तक प्राप्त आवेदनों की जाँच महिला प्रसार पदाधिकारी से जाँच कराकर एवं उक्त भेजे गये महिला स्वयं सहायता समूह का त्रुटि का निराकरण करते हुए निम्नलिखित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन पंचायतवार डीलर के रूप में की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

प्रखण्ड :- पोडैयाहाट

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पंचायत की आबादी	पंचायत कुल अनुमान्य जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	पंचायत में पूर्व में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	नये मापदण्डों के अनुसार पंचायत में ज0वि0प्र0 दुकानों की रिक्तियाँ	नव चयनित जन वितरण प्रणाली दुकानदार (महिला स्वयं सहायता समूह)	व्यापार स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोनिडीहा	4759	5	3	2	1 2 किरण जागो नारी अमडाकामत वीणा महिला मंडल, मुहचौरा	अमडाकामत मुहचौरा
2	देवबंधा	4950	5	3	2	3 4 विकास महिला मंडल देवबंधा बजरंग महिला मंडल, देवन्धा	देवबंधा देवबंधा
3	भटौंधा	5746	6	4	2	5 6 दुर्गा महिला मंडल भटौंधा चमेली महिला मंडल, परसोती	भटौंधा परसोती
4	डांडे	6754	7	4	3	7 8 9 मां दुर्गा महिला मंडल डांडे पार्वती महिला मंडल डांडे मां काली महिला मंडल डांडे	डांडे डांडे डांडे

Contd.....

(2)

5	द्रोपद	4527	5	1	4	10 आरती महिला मंडल, गवारीडीह 11 जागृती महिला मंडल, पदमपुर 12 सरस्वती महिला मंडल द्रोपद 13 पार्वती महिला मंडल द्रोपद	गवारीडीह पदमपुर द्रोपद द्रोपद
6	अमुआर संथाली	4964	5	1	4	14 गुलाब महिला मंडल, गौरीपुर 15 लक्ष्मी महिला मंडल, माझी टोला अमुवार 16 ललिता महिला मंडल, अमुवार 17 पार्वती महिला मंडल, घाट टोला	गौरीपुर माझी टोला अमुवार अमुवार घाट टोला
7	चतरा	5150	5	2	3	18 तरक्की महिला मंडल चतरा 19 सदिना महिला मंडल, चतरा 20 चंदन महिला मंडल पोखरिया	चतरा चतरा चतरा
8	सकरीफुल वार	5185	5	3	2	21 बेली महिला मंडल फुलवार 22 शिव महिला मंडल सकरी	फुलवार सकरी
9	कस्तुरी	5056	5	3	2	23 ज्योति स्वयं सहायता समूह, महेशधासा 24 अनिता स्वयं सहायता समूह, दादुघुटु	महेशधासा दादुघुटु
10	बकसरा	4344	4	2	2	25 लक्ष्मी महिला मंडल, बंसतपुर 26 जुली जागो नारी स्वयं सहायता समूह, पेटवी संथाली	बसंतपुर पेटवी संथाली टोला
11	बिरनियां	4958	5	2	3	27 ज्योति स्वयं सहायता समूह, महारा 28 ज्ञान स्वयं सहायता समूह, महारा 29 दीप स्वयं सहायता समूह, महारा	महारा महारा महारा
12	नवडीहा	5082	5	2	3	30 मार्सल स्वयं सहायता समूह, नवडीहा 31 जानकी स्वयं सहायता समूह, नवडीहा 32 पार्वती स्वयं सहायता समूह, चोपो टोला	नवडीहा नवडीहा चोपो टोला
13	लीलादह	5707	6	3	3	33 देवी महिला मंडल, बोहरा 34 सुनैना स्वयं सहायता समूह, बोहरा 35 मंगली जागो नारी स्वयं सहायता समूह	बोहरा बोहरा लीलादह
14	तरखुट्टा	4420	4	2	2	36 माँ संतोषी महिला मंडल, धोबय 37 झारखण्ड स्वयं सहायता समूह, गोहरा राजपुर	धोबय गोहरा राजपुर
15	ठाकुरनहा	4511	4	2	2	38 काली महिला मंडल, चरकाटांड 39 घुटकू महिला मंडल, दक्षिण बहियार	चरकाटांड दक्षिण बहियार

Contd.....

16	बांझी	5406	5	4	1	40	माताजी स्वयं सहायता समूह, सरबिन्धा	सरबिन्धा
17	खरकधिया	4892	5	2	3	41 42 43	सरस्वती महिला मंडल, बांसमुण्डी समा महिला मंडल, तालझारी किसान महिला मंडल, कारीकादर	बांसमुण्डी तालझारी कारीकादर
18	बाघमारा	5176	5	2	3	44 45 46	शिव-पार्वती महिला मंडल, बाघमारा पंचायत टोला लक्ष्मी महिला मंडल, बाघमारा प्रधान टोला शिवानी महिला मंडल, बाघमारा ठाकुर टोला	पंचायत टोला प्रधान टोला ठाकुरटोला
19	पिंडराहाट	4121	4	2	2	47 48	सरस्वती महिला मंडल, बोहा मां काली महिला मंडल, लिट्टी	बोहा लिट्टी
20	सिद्धवांक	4216	4	2	2	49 50	पार्वती महिला मंडल, परगोडीह लख्खी महिला मंडल, परगोडीह	परगोडीह परगोडीह
21	देवडाड	5165	5	3	2	51 52	सुमित्रा महिला मंडल, जीतपुर महामाया महिला मंडल, गोविन्दपुर	जीतपुर गोविन्दपुर
22	धेनुकट्टा	5534	6	2	4	53 54 55 56	फुलमनी जागो नारी स्वयं सहायता समूह, केलावाड़ी सावित्री महिला मंडल, बेलटुप्पा जय बजरंग महिला मंडल, बाघमुण्डा पार्वती महिला मंडल, धेनुकट्टा	केलावड़ी बेलटुप्पा हरिजन टोला बाघमुण्डा धेनुकट्टा
23	असाढ़ी माधुरी	5174	5	4	1	57	इंसाफ जागो नारी स्वयं सहायता समूह, असाढ़ी माधुरी	असाढ़ी माधुरी
24	बरागच्छा हरियारी	4427	5	4	1	58	जसीन्ता महिला मंडल, बोड़ा चापड़	बोड़ा चापड़

चयनित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को आदे 1 दिया जाता है कि वे दिनांक 30/09/2009 तक जन वितरण प्रणाली दुकान की व्यापार स्थल का जमाबंदी नं0, दाग नं0 एवं चौहद्दी सहित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र आपूर्ति भाखा में संबंधित सहायक के पास जमा करेंगे। साथ ही यह भी निदेशित किया जाता है कि अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति राशि 1 मो0-300/-रु0 एवं खाद्यान्न, किरासन तेल एवं लेवी चीनी का अनुज्ञप्ति भुल्क मो0-5 X 3=15 रु0 चलान द्वारा जमा कर चलान की प्रति, एकरारनामा एवं दो अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटोग्राफ समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें यह भी आदे 1 दिया जाता है कि वे अपनी दुकान से सम्बद्ध ग्राम/टोलों की पारिवारिक सूची निम्न प्रपत्र में दिनांक-

Contd.....

30/09/2009 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

—: प्रपत्र :-

क्र० सं०	परिवार के मुखिया का नाम	मुखिया के पति/पिता का नाम	परिवार में कुल सदस्यों की संख्या	राशन कार्ड सं०	कार्ड का प्रकार (यथा-अंत्योदय/बी०पी०एल०/ सामान्य या कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो वर्ष 2001 की जनगणना में उक्त परिवार वर्णित ग्राम/मुहल्लों में निवास करते हो तो उसका उल्लेख करें)
1	2	3	4	5	6

इसके अतिरिक्त उन्हें निम्न निदेश दिए जाते हैं:-

- अपनी दुकान से सम्बद्ध बी०पी०एल० एवं अंत्योदय के उपभोक्ताओं की सूची पूर्ण पता एवं कार्ड संख्या के साथ प्रतिमाह मिलने वाली खाद्यान्न की मात्रा एवं दर के साथ-साथ किरासन तेल के उपभोक्ताओं की पारिवारिक सूची, उनको प्रतिमाह मिलने वाला किरासन तेल का परिमाण एवं दर अपने व्यापार परिसर के बाहरी दिवाल पर दिवाल लेखन द्वारा आम उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु प्रकाशित करेंगे।
- उपावृत्त खाद्यान्न के उठाव हेतु ससमय बैंक ड्राफ्ट प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्धारित तिथि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैंक ड्राफ्ट स्वयं तैयार कराएंगे एवं बैंक ड्राफ्ट पर्ची का कौण्टर-फोलियो प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा करेंगे। प्रतिमाह उठाव किये गये खाद्यान्न एवं किरासन तेल का सत्यापन किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा कराने के पश्चात् ही उनके समक्ष उचित मात्रा एवं दर पर लक्षित वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच वितरण करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उपावृत्त खाद्यान्न एवं किरासन तेल व्ययगत नहीं हो, इसका पुरा ध्यान रखेंगे।
- लक्षित वर्ग के किसी भी उपभोक्ताओं का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेंगे तथा राशन कार्ड बनाने के नाम पर ठगी नहीं करेंगे।
- अपनी दुकान नियमित रूप से सरकारी निदेशों के आलोक में सुबह 8.00 बजे से 12.00 बजे दिन तक एवं भाम 4.00 बजे से 7.00 बजे तक खोलना सुनिश्चित करेंगे।
- भंडार एवं वितरण पंजी का संधारण सरकारी निदेशानुसार विहित-प्रपत्र में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से सत्यापनोपरान्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा उपभोक्ताओं को उनके द्वारा लिये गये सामग्रियों का केशमों की एक प्रति निश्चित रूप से देंगे तथा उसकी द्वितीयक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसपर उपभोक्ताओं का पावती भी लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ०

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- चयनित सभी बी०पी०एल० महिला स्वयं सहायता समूह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ०

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट/प्रखंड विकास पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट/अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट/महिला प्रसार पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

Contd.....

(5)

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- निदेशक, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

अनुमंडल कार्यालय, गोड्डा।

(आपूर्ति भाखा)

—: आदे I:—

सरकार के प्रधान सचिव के पत्रांक-खां0 प्र0-04 (विविध) 04/2009-1601/राँची, दिनांक-08/08/09 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए 1000 की जनसंख्या के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाये जो बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को ग्रेड-2 प्राप्त हों। साथ ही विशेष कार्य पदाधिकारी के ज्ञाप संख्या-219/ADV/TPS, दिनांक-09/09/09 से प्राप्त निर्देश के आलोक में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बोआरीजोर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबादी 1,13,256 है। सरकारी निर्देश के अनुसार 1000 की आबादी पर एक डीलर बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में चयन किया जाना है, जिसमें कुल 113 दुकानों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और वर्तमान में 65 जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पूर्व से कार्यरत है, इस प्रकार बोआरीजोर प्रखण्ड में 48 डीलर की रिक्ति बनती है। रिक्त स्थान में इस कार्यालय के पत्रांक-942/आ0, दिनांक-09/09/09 के द्वारा कुल 08 बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन कर उपायुक्त महोदय, गोड्डा को भेजा गया था। रिक्त स्थान पर उपायुक्त महोदय, गोड्डा के पत्रांक-341/जि0आ0, दिनांक-11/09/09 से इच्छुक महिला स्वयं सहायता समूह को दिनांक-21/09/09 तक आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित की गई थीं। दिनांक-21/09/09 तक प्राप्त आवेदनों की जाँच महिला प्रसार पदाधिकारी से जाँच कराकर एवं उक्त भेजे गये महिला स्वयं सहायता समूह का त्रुटि का निराकरण करते हुए निम्नलिखित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन पंचायतवार डीलर के रूप में की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

प्रखण्ड :- बोआरीजोर

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पंचायत की आबादी	पंचायत कुल अनुमान्य जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	पंचायत में पूर्व में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	नये मापदण्डों के अनुसार पंचायत में ज0वि0प्र0 दुकानों की रिक्तियाँ	नव चयनित जन वितरण प्रणाली दुकानदार (महिला स्वयं सहायता समूह)	व्यापार स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देवीपुर	4671	5	4	1	1 आदर्श बुनकर समिति, बाघमारा	बाघमारा
2	बोआरीजोर	4746	5	2	3	2 नारी विकास समिति कसामू 3 नारी विकास समिति, आसनबोना	कसामू आसनबोनी
3	जामुझरना	4811	5	3	2	4 मारसल नारी विकास समिति, डबरा 5 नारी विकास समिति, कोटिका	डबरा कोटिका
4	डुकेता	5629	6	2	4	6 किरण स्वयं सहायता समूह, सावैजोरा 7 आदिवासी विकास समिति स्वयं सहायता समूह, रानीडीह 8 ऐमेन स्वयं सहायता समूह, कुरकुटिया 9 संचार स्वयं सहायता समूह, डुमरा	सावैजोरा रानीडीह कुरकुटिया डुमरा

Contd.....

5	बड़ा डुमरहील	4232	4	3	1	10	नारी विकास समिति, लिट्टी धुनी	लिट्टी धुनी
6	राजाभीठा	4759	5	2	3	11 12 13	नीलम स्वयं सहायता समूह, राजाभीठा मीरा स्वयं सहायता समूह, राजाभीठा गीता स्वयं सहायता समूह, छोटाकेन्दुवा	राजाभीठा राजाभीठा छोटाकेन्दुवा
7	डुमरिया	4980	5	4	1	14	नारी विकास समिति, बड़ातेलो	बड़ातेलो
8	कुसबिल्ला	4630	5	1	4	15 16 17	पार्वती स्वयं सहायता समूह, केड़ोकुपी लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, छोटालिट्टी मुस्लिम विकास समिति, कुसबिल्ला	केड़ोकुपी छोटालिट्टी कुसबिल्ला
9	बड़ा अमरपुर	4514	5	2	3	18 19 20	नारी विकास समिति, बड़ा अमरपुर नारी विकास समिति, बसडंडा नारी विकास समिति टिकरीगोड़ा	बड़ा अमरपुर बसडंडा टिकरीगोड़ा
10	जिरली	5297	5	3	2	21 22	मोनिका स्वयं सहायता समूह, जिरली राजमुनी स्वयं सहायता समूह, जिरली	जिरली जिरली
11	बाघमारा	5199	5	3	2	23 24	चम्पाबाहा स्वयं सहायता समूह, बाघमारा दुर्गा महिला विकास समिति, छोटा दोरमा	बाघमारा छोटा दोरमा
12	बड़ा श्रीपुर	5475	5	2	3	25 26 27	धनबरसा महिला स्वयं सहायता समूह श्रीपुर बाजार ओम महिला स्वयं सहायता समूह, श्रीपुर बाजार कृष्ण महिला स्वयं सहायता समूह, श्रीपुर बाजार	श्रीपुर बाजार श्रीपुर बाजार श्रीपुर बाजार
13	मेघी	5118	5	2	3	28 29 30	ज्योति नारी विकास समिति, मेघी ज्योति नारी विकास समिति, मेघी गृहलक्ष्मी नारी विकास समिति, मेघी	मेघी मेघी मेघी
14	बाबुपुर	5690	6	4	2	31 32	महिला ग्राम विकास समिति, डुमरकोल आदिवासी महिला विकास समिति, बाबुपुर	डुमरकोल बाबुपुर
15	लीलातरी- II	5958	6	3	3	33 34 35	सोना स्वयं सहायता समूह, बालाझोर मारसल स्वयं सहायता समूह, बालाझोर महिला जागृति स्वयं सहायता समूह, तुलसीपुर	बालाझोर बालाझोर तुलसीपुर
16	कुसुमघाटी	5685	6	3	3	36 37 38	काली स्वयं सहायता समूह, डहुआ शाही स्वयं सहायता समूह कुसुमघाटी संत हृदय स्वयं सहायता समूह, कुसुमघाटी	डहुआ कुसुमघाटी कुसुमघाटी

चयनित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को आदे 1 दिया जाता है कि वे दिनांक 30/09/2009 तक जन वितरण प्रणाली दुकान की व्यापार स्थल का जमाबंदी नं0, दाग नं0 एवं चौहद्दी सहित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र आपूर्ति भाखा में संबंधित सहायक के पास जमा करेंगे। साथ ही यह भी निदेशित किया जाता है कि अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति राशि 1 मो0-300/-रु0 एवं खाद्यान्न, किरासन तेल एवं लेवी चीनी का अनुज्ञप्ति भुल्क मो0-5 X 3=15 रु0 चलान द्वारा जमा कर चलान की प्रति, एकरारनामा एवं दो अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटोग्राफ समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें यह भी आदे 1 दिया जाता है कि वे अपनी दुकान से सम्बद्ध ग्राम/टोलों की पारिवारिक सूची निम्न प्रपत्र में दिनांक-30/09/2009 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

—: प्रपत्र :-

क्र0 सं0	परिवार के मुखिया का नाम	मुखिया के पति/पिता का नाम	परिवार में कुल सदस्यों की संख्या	राशन कार्ड सं0	कार्ड का प्रकार (यथा-अंत्योदय/बी0पी0एल0/ सामान्य या कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो वर्ष 2001 की जनगणना में उक्त परिवार वर्णित ग्राम/मुहल्लों में निवास करते हो तो उसका उल्लेख करें)
1	2	3	4	5	6

इसके अतिरिक्त उन्हें निम्न निदेश 1 दिया जाता है:-

1. अपनी दुकान से सम्बद्ध बी0पी0एल0 एवं अंत्योदय के उपभोक्ताओं की सूची पूर्ण पता एवं कार्ड संख्या के साथ प्रतिमाह मिलने वाली खाद्यान्न की मात्रा एवं दर के साथ-साथ किरासन तेल के उपभोक्ताओं की पारिवारिक सूची, उनको प्रतिमाह मिलने वाला किरासन तेल का परिमाण एवं दर अपने व्यापार परिसर के बाहरी दिवाल पर दिवाल लेखन द्वारा आम उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु प्रकाशित करेंगे।
2. उपावृत्त खाद्यान्न के उठाव हेतु ससमय बैंक ड्राफ्ट प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्धारित तिथि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैंक ड्राफ्ट स्वयं तैयार करायेगे एवं बैंक ड्राफ्ट पर्ची का कौण्टर-फोलियो प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा करेंगे। प्रतिमाह उठाव किये गये खाद्यान्न एवं किरासन तेल का सत्यापन किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा कराने के पश्चात् ही उनके समक्ष उचित मात्रा एवं दर पर लक्षित वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच वितरण करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उपावृत्त खाद्यान्न एवं किरासन तेल व्ययगत नहीं हो, इसका पुरा ध्यान रखेंगे।
3. लक्षित वर्ग के किसी भी उपभोक्ताओं का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेंगे तथा राशन कार्ड बनाने के नाम पर ठगी नहीं करेंगे।
4. अपनी दुकान नियमित रूप से सरकारी निदेश 1 के आलोक में सुबह 8.00 बजे से 12.00 बजे दिन तक एवं शाम 4.00 बजे से 7.00 बजे तक खोलना सुनिश्चित करेंगे।
5. भंडार एवं वितरण पंजी का संधारण सरकारी निदेशानुसार विहित-प्रपत्र में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से सत्यापनोपरान्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा उपभोक्ताओं को उनके द्वारा लिये गये सामग्रियों का केशमेमों की एक प्रति निश्चित रूप से देंगे तथा उसकी द्वितीयक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसपर उपभोक्ताओं का पावती भी लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- चयनित सभी बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

Contd.....

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:— प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बोआरीजोर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोआरीजोर/अंचल अधिकारी, बोआरीजोर/महिला प्रसार पदाधिकारी, बोआरीजोर को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:— निदेशक, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ हेतु प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:— उपायुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

अनुमंडल कार्यालय, गोड्डा।

(आपूर्ति भाखा)

—: आदे 1:—

सरकार के प्रधान सचिव के पत्रांक-खां0 प्र0-04 (विविध) 04/2009-1601/राँची, दिनांक-08/08/09 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए 1000 की जनसंख्या के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाये जो बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को ग्रेड-2 प्राप्त हों। साथ ही विशेष कार्य पदाधिकारी के ज्ञाप संख्या-219/ADV/TPS, दिनांक-09/09/09 से प्राप्त निर्देश के आलोक में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मेहरमा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबादी 1,15,855 है। सरकारी निर्देश के अनुसार 1000 की आबादी पर एक डीलर बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में चयन किया जाना है, जिसमें कुल 116 दुकानों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और वर्तमान में 60 जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पूर्व से कार्यरत है, इस प्रकार मेहरमा प्रखण्ड में 56 डीलर की रिक्ति बनती है। रिक्त स्थान में इस कार्यालय के पत्रांक-942/आ0, दिनांक-09/09/09 के द्वारा कुल 06 बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन कर उपायुक्त महोदय, गोड्डा को भेजा गया था। रिक्त स्थान पर उपायुक्त महोदय, गोड्डा के पत्रांक-341/जि0आ0, दिनांक-11/09/09 से इच्छुक महिला स्वयं सहायता समूह को दिनांक-21/09/09 तक आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित की गई थीं। दिनांक-21/09/09 तक प्राप्त आवेदनों की जाँच महिला प्रसार पदाधिकारी से जाँच कराकर एवं उक्त भेजे गये महिला स्वयं सहायता समूह का त्रुटि का निराकरण करते हुए निम्नलिखित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन पंचायतवार डीलर के रूप में की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

प्रखण्ड :- मेहरमा

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पंचायत की आबादी	पंचायत कुल अनुमान्य जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	पंचायत में पूर्व में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	नये मापदण्डों के अनुसार पंचायत में जो0वि0प्र0 दुकानों की रिक्तियाँ	नव चयनित जन वितरण प्रणाली दुकानदार (महिला स्वयं सहायता समूह)	व्यापार स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ईटहरी	4596	5	1	4	1 महिला उत्थान समिति, ईटहरी 2 महिला समिति, ईटहरी-। 3 महिला समिति ईटहरी-।। 4 दुर्गा समिति, ईटहरी	ईटहरी ईटहरी ईटहरी ईटहरी
2	डोय	5483	5	4	1	5 शहिदी समिति, हरिपुर	हरिपुर
3	लकड़मारा	5399	5	3	2	6 लहठी समिति, लकड़मारा 7 महिला विकास समिति, कुमरडीहा	लकड़मारा कुमरडीहा
4	बाजितपुर	4890	5	2	3	8 ओम नमः शिवाय महिला स्वयं सहायता समूह, हेतीपुर 9 शंकर भगवान महिला स्वयं सहायता समूह, बुधासन 10 शिवचरचा महिला स्वयं सहायता समूह, बुधासन	हेतीपुर बुधासन बुधासन

Contd.....

5	सिंघाड़ी	5844	6	3	3	11 12 13	सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह, सिंघाड़ी दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह, सिंघाड़ी मां काली महिला स्वयं सहायता समूह सिंघाड़ी	सिंघाड़ी सिंघाड़ी सिंघाड़ी
6	मेहरमा	4504	4	2	2	14 15	शिव गुरु महिला स्वयं सहायता समूह मेहरमा अन्नपूर्णा महिला स्वयं सहायता समूह, बनौधा	मेहरमा बनौधा
7	सुइनी	4503	4	1	3	16 17 18	तिलका समिति कोलबड्डा चौद बाबा समिति, बोरमा संथाली टोला शारदा समिति, धासीचक	कोलबड्डा बोरमा संथाली सुइनी
8	शंकरपुर	5233	5	3	2	19 20	महिला विकास स्वयं सहायता समूह, बरारी शिवशक्ति स्वयं सहायता समूह, शंकरपुर	बरारी शंकरपुर
9	अमजौरा पिरोजपुर	4979	5	3	2	21 22	दुर्गा स्वयं सहायता समूह, पिरोजपुर महिला कल्याण समिति पतिचक	पिरोजपुर पतिचक
10	सुखाड़ी	4520	5	3	2	23	दुर्गा स्वयं सहायता समूह, शोभापुर	शोभापुर
11	कसवा	4939	5	3	2	24 25	गंगा महिला स्वयं सहायता समूह, कसवा सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह, कसवा	कसवा कसवा
12	छोटा मानगढ़	4926	5	2	3	26 27 28	सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह, मानगढ़ शांति स्वयं सहायता समूह, बगात खुटहरी चमेली स्वयं सहायता समूह, बगात खुटहरी	मानगढ़ खुटहरी खुटहरी
13	सौरीचकला	3982	4	3	1	29	सर्वोदय महिला स्वयं सहायता समूह, सौरीचकला	सौरीचकला
14	अमौर	5395	5	3	2	30 31	शिव महिला स्वयं सहायता समूह, अमौर अर्जुण समिति, नीमा	अमौर नीमा
15	सिमानपुर	5385	5	3	2	32 33	माँ सरस्वती समिति परसा महिला विकास समिति सिमानपुर	परसा सिमानपुर
16	तुलाराम भुस्का	5897	6	3	3	34 35 36	अमरदीप समिति रसटीकर सरस्वती समिति, तुलाराम भुस्का चाँदनी समिति भलुवा	रसटीकर तुलाराम भुस्का भलुवा

17	मालप्रतापुर	5970	6	3	3	37 38 39	मजदूर समिति मालप्रतापुर आदर्श मिहिला विकास समिति हरिपुर जीवन ज्योति समिति, दोगाछी	मालप्रतापुर हरिपुर दोगाछी
18	धनकुड़िया	4580	5	2	3	40 41	रौशनी महिला स्वयं सहायता समूह, धनकुड़िया शिप्रा स्वयं सहायता समूह, धनकुड़िया	धनकुड़िया धनकुड़िया
19	बेलबड्डा	4573	5	3	2	42	माँ दुर्गा समिति बेलबड्डा	बेलबड्डा
20	मडपा	4582	5	3	2	43 44	सर्वोदय समिति गोसीचक रश्मीरथी समिति कोकराखास	गोसीचक कोकराखास
21	गझंडा	4760	5	1	4	45 46 47 48	महावीर संघ समिति, सोनागुजी शिव शक्ति संघ समिति, तेतरिया शिव संघ समिति, तेतरिया सेल्फ हेल्प ग्रुप समिति 01, बिरनियाँ	सोनागुजी तेतरिया तेतरिया बिरनियाँ
22	मधुरा	5641	6	3	3	49 50 51	माँ चण्डी महिला स्वयं सहायता समूह, मधुरा शारदा संघ समिति मधुरा माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह, लोहचिन्ता	मधुरा मधुरा लोहचिन्ता

चयनित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को आदे 1 दिया जाता है कि वे दिनांक 30/09/2009 तक जन वितरण प्रणाली दुकान की व्यापार स्थल का जमाबंदी नं0, दाग नं0 एवं चौहद्दी सहित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र आपूर्ति भाखा में संबंधित सहायक के पास जमा करेंगे। साथ ही यह भी निदेशित किया जाता है कि अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति राशि 1 मो0-300/-रु0 एवं खाद्यान्न, किरासन तेल एवं लेवी चीनी का अनुज्ञप्ति भुल्क मो0-5 X 3=15 रु0 चलान द्वारा जमा कर चलान की प्रति, एकरारनामा एवं दो अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटोग्राफ समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें यह भी आदे 1 दिया जाता है कि वे अपनी दुकान से सम्बद्ध ग्राम/टोलों की पारिवारिक सूची निम्न प्रपत्र में दिनांक-30/09/2009 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

—: प्रपत्र :-

क्र0 सं0	परिवार के मुखिया का नाम	मुखिया के पति/पिता का नाम	परिवार में कुल सदस्यों की संख्या	राशन कार्ड सं0	कार्ड का प्रकार (यथा-अंत्योदय/बी0पी0एल0/ सामान्य या कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो वर्ष 2001 की जनगणना में उक्त परिवार वर्णित ग्राम/मुहल्लों में निवास करते हो तो उसका उल्लेख करें)
1	2	3	4	5	6

इसके अतिरिक्त उन्हें निम्न निदेश 1 दिया जाता है:-

1. अपनी दुकान से सम्बद्ध बी0पी0एल0 एवं अंत्योदय के उपभोक्ताओं की सूची पूर्ण पता एवं कार्ड संख्या के साथ प्रतिमाह मिलने वाली खाद्यान्न की मात्रा एवं दर के साथ-साथ किरासन तेल के उपभोक्ताओं की पारिवारिक सूची, उनको प्रतिमाह मिलने वाला किरासन तेल का परिमाण एवं दर

Contd.....

अपने व्यापार परिसर के बाहरी दिवाल पर दिवाल लेखन द्वारा आम उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु प्रकाशित करेंगे।

2. उपावटित खाद्यान्न के उठाव हेतु ससमय बैंक ड्राफ्ट प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्धारित तिथि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैंक ड्राफ्ट स्वयं तैयार करायेगें एवं बैंक ड्राफ्ट पर्ची का कॉउण्टर-फोलियो प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा करेंगे। प्रतिमाह उठाव किये गये खाद्यान्न एवं किरासन तेल का सत्यापन किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा कराने के पश्चात् ही उनके समक्ष उचित मात्रा एवं दर पर लक्षित वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच वितरण करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उपावटित खाद्यान्न एवं किरासन तेल व्ययगत नहीं हो, इसका पुरा ध्यान रखेंगे।
3. लक्षित वर्ग के किसी भी उपभोक्ताओं का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेंगे तथा राशन कार्ड बनाने के नाम पर ठगी नहीं करेंगे।
4. अपनी दुकान नियमित रूप से सरकारी निदेशों के आलोक में सुबह 8.00 बजे से 12.00 बजे दिन तक एवं शाम 4.00 बजे से 7.00 बजे तक खोलना सुनिश्चित करेंगे।
5. भंडार एवं वितरण पंजी का संधारण सरकारी निदेशानुसार विहित-प्रपत्र में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से सत्यापनोपरान्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा उपभोक्ताओं को उनके द्वारा लिये गये सामग्रियों का केशमों की एक प्रति निश्चित रूप से देंगे तथा उसकी द्वितीयक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसपर उपभोक्ताओं का पावती भी लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- चयनित सभी बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मेहरमा/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मेहरमा/अंचल अधिकारी, मेहरमा/महिला प्रसार पदाधिकारी, मेहरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- निदेशों, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

अनुमंडल कार्यालय, गोड्डा।

(आपूर्ति भाखा)

—: आदे I:—

सरकार के प्रधान सचिव के पत्रांक-खां0 प्र0-04 (विविध) 04/2009-1601/राँची, दिनांक-08/08/09 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए 1000 की जनसंख्या के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाये जो बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को ग्रेड-2 प्राप्त हों। साथ ही विशेष कार्य पदाधिकारी के ज्ञाप संख्या-219/ADV/TPS, दिनांक-09/09/09 से प्राप्त निर्देश के आलोक में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ठाकुरगंगटी प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबादी 77,512 है। सरकारी निर्देश के अनुसार 1000 की आबादी पर एक डीलर बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में चयन किया जाना है, जिसमें कुल 77 दुकानों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और वर्तमान में 43 जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पूर्व से कार्यरत है, इस प्रकार ठाकुरगंगटी प्रखण्ड में 34 डीलर की रिक्ति बनती है। रिक्त स्थान पर उपायुक्त महोदय, गोड्डा के पत्रांक-341/जि0आ0, दिनांक-11/09/09 से इच्छुक महिला स्वयं सहायता समूह को दिनांक-21/09/09 तक आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित की गई थीं। दिनांक-21/09/09 तक प्राप्त आवेदनों की जाँच महिला प्रसार पदाधिकारी से जाँच कराकर निम्नलिखित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन पंचायतवार डीलर के रूप में की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

प्रखण्ड :- ठाकुरगंगटी

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पंचायत की आबादी	पंचायत कुल अनुमान्य जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	पंचायत में पूर्व में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	नये मापदण्डों के अनुसार पंचायत में जो0बि0प्र0 दुकानों की रिक्तियाँ	नव चयनित जन वितरण प्रणाली दुकानदार (महिला स्वयं सहायता समूह)	व्यापार स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मालमंडरो	5593	6	3	3	1 नारी उत्थान समिति मालमंडरो 2 नारी कल्याण स्वयं सहायता समूह, मालमंडरो 3 महिला विकास स्वयं सहायता समूह, मालमंडरो	मालमंडरो मालमंडरो मालमंडरो
2	दिग्धी	5666	6	1	5	4 जन कल्याण महिला स्वयं सहायता समूह, पहाड़पुर 5 लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह, पहाड़पुर 6 धनबरसा स्वयं सहायता समूह, पहाड़पुर 7 नारी स्वयं सहायता समूह पहाड़पुर 8 महिला कल्याण स्वयं सहायता समूह, देवनचक	पहाड़पुर पहाड़पुर पहाड़पुर पहाड़पुर देवनचक
3	खरखोदिया	4661	4	3	1	9 पार्वती स्वयं सहायता समूह, खानीचक	खानीचक
4	तेतरियामाल	4641	4	2	2	10 महिला स्वयं सहायता समूह, कजरैल 11 जागो बहना स्वयं सहायता समूह, कजरैल	कजरैल कजरैल

Contd.....

5	मिश्रगंगटी	3905	4	2	2	12 13	महिला जागृति स्वयं सहायता समूह, मिश्रगंगटी दुर्गा स्वयं सहायता समूह, मिश्रगंगटी	मिश्रगंगटी मिश्रगंगटी
6	रुंजी	4879	5	3	2	14 15	महिला विकास स्वयं सहायता समूह, रुंजी नारी कल्याण स्वयं सहायता समूह, रुंजी	रुंजी रुंजी
7	बनियाडीह	4276	4	2	2	16 17	चंतना स्वयं सहायता समूह, बनियाडीह प्रेरण स्वयं सहायता समूह, बनियाडीह	बनियाडीह बनियाडीह
8	मानिकपुर	4991	5	2	3	18	महिला विकास समिति, तलवड़िया	तलवड़िया

चयनित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को आदे 1 दिया जाता है कि वे दिनांक 30/09/2009 तक जन वितरण प्रणाली दुकान की व्यापार स्थल का जमाबंदी नं0, दाग नं0 एवं चौहद्दी सहित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र आपूर्ति भाखा में संबंधित सहायक के पास जमा करेंगे। साथ ही यह भी निदेशित किया जाता है कि अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति राशि 1 मो0-300/-रु0 एवं खाद्यान्न, किरासन तेल एवं लेवी चीनी का अनुज्ञप्ति भुल्क मो0-5 X 3=15 रु0 चलान द्वारा जमा कर चलान की प्रति, एकरारनामा एवं दो अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटोग्राफ समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें यह भी आदे 1 दिया जाता है कि वे अपनी दुकान से सम्बद्ध ग्राम/टोलों की पारिवारिक सूची निम्न प्रपत्र में दिनांक-30/09/2009 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

—: प्रपत्र :-

क्र0 सं0	परिवार के मुखिया का नाम	मुखिया के पति/पिता का नाम	परिवार में कुल सदस्यों की संख्या	राशन कार्ड सं0	कार्ड का प्रकार (यथा-अंत्योदय/बी0पी0एल0/ सामान्य या कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो वर्ष 2001 की जनगणना में उक्त परिवार वर्णित ग्राम/मुहल्लों में निवास करते हो तो उसका उल्लेख करें)
1	2	3	4	5	6

इसके अतिरिक्त उन्हें निम्न निदेशित किया जाता है:-

1. अपनी दुकान से सम्बद्ध बी0पी0एल0 एवं अंत्योदय के उपभोक्ताओं की सूची पूर्ण पता एवं कार्ड संख्या के साथ प्रतिमाह मिलने वाली खाद्यान्न की मात्रा एवं दर के साथ-साथ किरासन तेल के उपभोक्ताओं की पारिवारिक सूची, उनको प्रतिमाह मिलने वाला किरासन तेल का परिमाण एवं दर अपने व्यापार परिसर के बाहरी दिवाल पर दिवाल लेखन द्वारा आम उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु प्रकाशित करेंगे।
2. उपावृत्त खाद्यान्न के उठाव हेतु ससमय बैंक ड्राफ्ट प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्धारित तिथि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैंक ड्राफ्ट स्वयं तैयार करायेगे एवं बैंक ड्राफ्ट पर्ची का कॉउण्टर-फोलियो प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा करेंगे। प्रतिमाह उठाव किये गये खाद्यान्न एवं किरासन तेल का सत्यापन किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा कराने के पश्चात् ही उनके समक्ष उचित मात्रा एवं दर पर लक्षित वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच वितरण करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उपावृत्त खाद्यान्न एवं किरासन तेल व्ययगत नहीं हो, इसका पुरा ध्यान रखेंगे।
3. लक्षित वर्ग के किसी भी उपभोक्ताओं का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेंगे तथा राशन कार्ड बनाने के नाम पर ठगी नहीं करेंगे।

4. अपनी दुकान नियमित रूप से सरकारी निदे I के आलोक में सुबह 8.00 बजे से 12.00 बजे दिन तक एवं भाम 4.00 बजे से 7.00 बजे तक खोलना सुनिश्चित करेंगे।
5. भंडार एवं वितरण पंजी का संधारण सरकारी निदे I अनुसार विहित-प्रपत्र में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से सत्यापनोपरान्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा उपभोक्ताओं को उनके द्वारा लिये गये सामग्रियों का केशमेमों की एक प्रति निश्चित रूप से देंगे तथा उसकी द्वितीयक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसपर उपभोक्ताओं का पावती भी लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- चयनित सभी बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी/अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी/महिला प्रसार पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- निदे Iक, लेखा प्र Iासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेशित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

अनुमंडल कार्यालय, गोड्डा।

(आपूर्ति भाखा)

-: आदे त:-

सरकार के प्रधान सचिव के पत्रांक-खां0 प्र0-04 (विविध) 04/2009-1601/रॉंची, दिनांक-08/08/09 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए 1000 की जनसंख्या के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाये जो बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को ग्रेड-2 प्राप्त हों। साथ ही विशेष कार्य पदाधिकारी के ज्ञाप संख्या-219/ADV/TPS, दिनांक-09/09/09 से प्राप्त निर्देश के आलोक में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सुन्दरपहाड़ी प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबादी 53,227 है। सरकारी निर्देश के अनुसार 1000 की आबादी पर एक डीलर बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में चयन किया जाना है, जिसमें कुल 53 दुकानों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और वर्तमान में 32 जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पूर्व से कार्यरत है, इस प्रकार सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड में 21 डीलर की रिक्ति बनती है। रिक्त स्थान में इस कार्यालय के पत्रांक-942/आ0, दिनांक-09/09/09 के द्वारा कुल 11 बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन कर उपायुक्त महोदय, गोड्डा को भेजा गया था। रिक्त स्थान पर उपायुक्त महोदय, गोड्डा के पत्रांक-341/जि0आ0, दिनांक-11/09/09 से इच्छुक महिला स्वयं सहायता समूह को दिनांक-21/09/09 तक आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित की गई थीं। दिनांक-21/09/09 तक सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड से मात्र एक ही पंचायत का आवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदनों की जाँच महिला प्रसार पदाधिकारी से जाँच कराकर एवं उक्त भेजे गये महिला स्वयं सहायता समूह का त्रुटि का निराकरण करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुन्दरपहाड़ी के पत्रांक-588/वि0, दिनांक-04/09/09 एवं महिला प्रसार पदाधिकारी, सुन्दरपहाड़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह का चयन पंचायतवार डीलर के रूप में की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

प्रखण्ड :- सुन्दरपहाड़ी

क्र० सं०	पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पंचायत की आबादी	पंचायत कुल अनुमानित जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	पंचायत में पूर्व में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	नये मापदण्डों के अनुसार पंचायत में जा0वि0प्र0 दुकानों की रिक्तियाँ	नव चयनित जन वितरण प्रणाली दुकानदार (महिला स्वयं सहायता समूह)	व्यापार स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पहाड़पुर	3809	4	1	3	1 गुलाबफूल महिला मंडल, पहाड़पुर 2 तिलका बाबा महिला मंडल, कैरोजोड़ी 3 माता मरियम महिला मंडल, जीतपुर	पहाड़पुर कैरोजोड़ी जीतपुर
2	सुसनी	3016	3	2	1	4 श्रीजोल बाहा महिला मंडल, बनकट्टी	बनकट्टी
3	गोराडीह	3906	4	2	2	5 राजबाहा महिला मंडल, बरमसिया 6 चतरीधुरी महिला मंडल कोकड़ाबांध	बरमसिया कोकड़ाबांध

Contd.....

4	घटियारी	5085	5	4	1	7	गृह लक्ष्मी एस0एच0जी0 घटियारी	घटियारी
5	चंदना	4412	4	3	1	8	रुपायन महिला मंडल, चंदना	चंदना
6	बड़ा धमनी	5963	6	2	4	9 10 11 12	माँ सरस्वती महिला मंडल धमनी बाजार माँ काली स्वयं सहायता समूह छोटाधमनी माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, धमनी माँ दुर्गा महिला मंडल धमनी	धमनी बाजार छोटाधमनी धमनी धमनी
7	बड़ा सिन्दरी	3349	3	1	2	13 14	फुलवारी महिला मंडल, जोलो तातवुप महिला मंडल मदनी	जोलो मदनी
8	बड़ा पाकतरी	3064	3	1	2	15 16	सोनाली मुर्मु महिला मंडल, नादोपाड़ा जिरली महिला मंडल चमडांडे	नादोपाड़ा चमडांडे
9	तीलाबाद	5072	5	4	1	17	माँ दुर्गा महिला मंडल तीलाबाद	तीलाबाद
10	कैरासोल	2775	3	1	2	18 19	तोरिल बाहा मंडल, कैरासोल ओपल बाहा महिला मंडल, मिरचाईतरी	कैरासोल मिरचाईतरी
11	बाँसजोरी	5818	6	5	1	20	माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह, कौवाढाव	कौवाढाव
12	कुशमाहा	3408	4	3	1	21	सरस्वती महिला मंडल डमरुहाट	डमरुहाट

चयनित बी0पी0एल0 महिला स्वयं सहायता समूह को आदे 1 दिया जाता है कि वे दिनांक 30/09/2009 तक जन वितरण प्रणाली दुकान की व्यापार स्थल का जमाबंदी नं0, दाग नं0 एवं चौहद्दी सहित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र आपूर्ति भाखा में संबंधित सहायक के पास जमा करेंगे। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति राशि 1 मो0-300/-रु0 एवं खाद्यान्न, किरासन तेल एवं लेवी चीनी का अनुज्ञप्ति भुल्क मो0-5 X 3=15 रु0 चलान द्वारा जमा कर चलान की प्रति, एकरारनामा एवं दो अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटोग्राफ समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें यह भी आदे 1 दिया जाता है कि वे अपनी दुकान से सम्बद्ध ग्राम/टोलों की पारिवारिक सूची निम्न प्रपत्र में दिनांक-30/09/2009 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

—: प्रपत्र :-

क्र0 सं0	परिवार के मुखिया का नाम	मुखिया के पति/पिता का नाम	परिवार में कुल सदस्यों की संख्या	राशन कार्ड सं0	कार्ड का प्रकार (यथा-अंत्योदय/बी0पी0एल0/ सामान्य या कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो वर्ष 2001 की जनगणना में उक्त परिवार वर्णित ग्राम/मुहल्लों में निवास करते हो तो उसका उल्लेख करें)
1	2	3	4	5	6

Contd.....

इसके अतिरिक्त उन्हें निम्न निदेश दिए जाते हैं:-

1. अपनी दुकान से सम्बद्ध बीपीओएल0 एवं अन्त्योदय के उपभोक्ताओं की सूची पूर्ण पता एवं कार्ड संख्या के साथ प्रतिमाह मिलने वाली खाद्यान्न की मात्रा एवं दर के साथ-साथ किरासन तेल के उपभोक्ताओं की पारिवारिक सूची, उनको प्रतिमाह मिलने वाला किरासन तेल का परिमाण एवं दर अपने व्यापार परिसर के बाहरी दिवाल पर दिवाल लेखन द्वारा आम उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु प्रकाशित करेंगे।
2. उपावृत्त खाद्यान्न के उठाव हेतु ससमय बैंक ड्राफ्ट प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्धारित तिथि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैंक ड्राफ्ट स्वयं तैयार कराएंगे एवं बैंक ड्राफ्ट पर्ची का कौण्टर-फोलियो प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा करेंगे। प्रतिमाह उठाव किये गये खाद्यान्न एवं किरासन तेल का सत्यापन किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा कराने के पश्चात् ही उनके समक्ष उचित मात्रा एवं दर पर लक्षित वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच वितरण करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उपावृत्त खाद्यान्न एवं किरासन तेल व्ययगत नहीं हो, इसका पुरा ध्यान रखेंगे।
3. लक्षित वर्ग के किसी भी उपभोक्ताओं का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेंगे तथा राशन कार्ड बनाने के नाम पर ठगी नहीं करेंगे।
4. अपनी दुकान नियमित रूप से सरकारी निदेशों के आलोक में सुबह 8.00 बजे से 12.00 बजे दिन तक एवं शाम 4.00 बजे से 7.00 बजे तक खोलना सुनिश्चित करेंगे।
5. भंडार एवं वितरण पंजी का संधारण सरकारी निदेशानुसार विहित-प्रपत्र में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से सत्यापनोपरान्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा उपभोक्ताओं को उनके द्वारा लिये गये सामग्रियों का केशमेमों की एक प्रति निश्चित रूप से देंगे तथा उसकी द्वितीयक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसपर उपभोक्ताओं का पावती भी लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- चयनित सभी बीपीओएल0 महिला स्वयं सहायता समूह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सुन्दरपहाड़ी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुन्दरपहाड़ी/अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी/महिला प्रसार पदाधिकारी, सुन्दरपहाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुन्दरपहाड़ी एवं महिला प्रसार पदाधिकारी, सुन्दरपहाड़ी को निदेशित किया जाता है कि चयनित बीपीओएल0 महिला स्वयं सहायता समूह जिनके द्वारा अब तक आवेदन-पत्र समर्पित नहीं किया गया है, से आवेदन-पत्र अविलंब निश्चित रूप से प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

ज्ञापांक...../आ0

दिनांक:...../सितम्बर 2009

प्रतिलिपि:- निदेशों के अलावा, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

Contd.....

ज्ञापंक...../आ0
प्रतिलिपि:— उपायुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेशित ।

दिनांक:...../सितम्बर 2009

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा ।